संख्या- 3/2016/36/1/76-का-2/1998टी.सी.

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 13 मई, 2016

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनांक 18-04-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का पुन: निदेश हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन में यदि अधोहस्ताक्षरी प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी निर्धारित हो, तो ऐसी गोपनीय प्रविष्टियां, प्रतिवेदक /समीक्षक/स्वीकर्ता मन्तव्य अंकित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 31-05-2016 के पूर्व उपलब्ध करा दी जाएं ताकि यथासमय वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में मन्तव्य अंकित किया जा सके।

3- उल्लेखनीय है कि सेवा सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणों यथा-पदोन्नति, वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता एवं स्थायी करण आदि के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का सम्यक् अंकन होना अपेक्षित रहता है।

4- कृपया उपर्युकत से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।